प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला..... **भ्र0 नि0 ब्यूरो, चौकी करौली**, ...थाना.....**प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर**... वर्ष ...**2023**....
प्र. इ. रि. स. ....292/2023......... दिनांक 11.11.2023

2. (अ) अधिनियम ....**भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)** ...धारायें...**7**.................
(ब) अधिनियम ....धारायें...
(स) अधिनियम ....धारायें...
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .... **120 बी भा.दसं.** ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ...187..............समय.........05:05 p.m.
(ब) अपराध घटने का दिन–दि.–..................**शुक्रवार/10.11.2023/03:15 पी.एम.**.............................
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक .... समय. ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – .... **लिखित** ....

5. घटनास्थल :–........................ **पटवार घर हिण्डौन सिटी, जिला करौली**....................................
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – .....**बजानिव दिशा उत्तर, दूरी करीब 30 कि.मी.**.......................
(ब) पता – ....बीट सख्या ....जरायम देही सं...
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना................जिला...........................

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम ....**श्री कॅवर सिंह** ....
(ब) पिता /पति का नाम ......**श्री धर्म सिंह** .....जाति ....**गुर्जर**......(स) जन्म तिथि/वर्ष.....**36 वर्ष** ......
(द) राष्ट्रीयता.........**भारतीय** ....
(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी.................जारी होने की जगह................................
(र) व्यवसाय..
(ल) पता................**निवासी ग्राम राजापुरा, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली**................................

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

(1) सुरेन्द्र पाल सौलंकी पुत्र श्री निहाल सिंह, जाति जाट, उम्र 47 साल, निवासी महूखास, पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी, जिला करौली हाल पटवारी, पटवार हल्का भंगो, तहसील तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली।

(2) राजेन्द्र कुमार गुर्जर पुत्र श्री आराम सिहं, जाति गुर्जर, उम्र 50 साल, निवासी ग्राम खेडली गुर्जर, पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डोन सिटी, जिला करौली, हाल पटवारी पटवार हल्का बझेडा, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–..........**कोई नही**..............................

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
....**12,000/–रूपये रिश्वत राशि** ....

10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य, पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)..........
....**7000 + 5000 कुल 12,000/–रूपये रिश्वत राशि** ....

11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ....**नहीं**.......................

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)...................

सेवामें, श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, A. C. B. करौली, विषयः–पटवारियों को रिश्वत लेते हुए पकडवाने हेतु, महोदय, निवेदन है कि मैं कॅवर सिंह ग्राम राजापुरा का रहने वाला हूं। मेरे गांव के रकबा में सिवायचक की जमीन है जिसमें चार बीघा जमीन पर हम चार कास्तकार का करीब 5 साल से कब्जा है व खेती कर रहे है जिसकी हम तहसील हिण्डौन से 91 की रसीद कटवा रहे है। दिनांक 24.10.2023 को पटवार हल्का भंगो का पटवारी सुरेन्द्र व पटवार हल्का बझेडा का पटवारी राजेन्द्र मेरे से मिले और सिवायचक जमीन में से 2 बीघा जमीन जिस पर हमारा कब्जा है व सरसों की फसल वो रखी है की 91 की रिपोर्ट करने के लिए 15,000 रूपये मांगे मैने उनकी बातो में आकर 5000 रूपये दे दिये। आज थोडी देर पहले राजेन्द्र पटवारी का मेरे फोन पर वाट्सऐप कॉल आया और 10,000 रूपये लेकर मेरे को हिण्डौन बुलाया है। रिपोर्ट पेश है मेरी पटवारियों से कोई दुश्मनी व पुरानी उधार लेन–देन नही है। हस्ता0 दि.26/10/2023 श्री कॅवर सिंह S/0 श्री धर्म सिंह, उम्र 36 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम राजापुरा, तह. हिण्डौन सिटी, जिला करौली, मो. नं. 7568202373

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 26.10.2023 समय 01:30 पी.एम. भ्र.नि.ब्यूरो चौकी करौली

प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री कॅवर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह, उम्र 36 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम राजापुरा, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली ने उपस्थित कार्यालय होकर

एक लिखित रिपोर्ट पटवारियों को रिश्वत लेते हुये पकडवाने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली के पदनाम से सम्बोधित कर मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक को पेश की। उपरोक्त लिखित रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुये परिवादी श्री कँवर सिंह से लिखित रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो रिपोर्ट स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताते हुए बताया कि मेरे गांव के रकबा में सिवायचक की जमीन है जिसमें चार बीघा जमीन पर हम चार कास्तकार का करीब 5 साल से कब्जा है व खेती कर रहे है जिसकी हम तहसील हिण्डौन से 91 की रसीद कटवा रहे है। दिनांक 24.10.2023 को पटवार हल्का भंगो का पटवारी सुरेन्द्र व पटवार हल्का बझेडा का पटवारी राजेन्द्र मेरे से मिले और सिवायचक जमीन में से 2 बीघा जमीन जिस पर हमारा कब्जा है व सरसों की फसल वो रखी है की 91 की रिपोर्ट करने के लिए 15,000 रूपये मांगे मैने उनकी बातो में आकर 5000 रूपये दे दिये। आज थोडी देर पहले राजेन्द्र पटवारी का मेरे फोन पर वाट्सऐप कॉल आया और 10,000 रूपये लेकर मेरे को हिण्डौन बुलाया है। मेरा गांव पटवार हल्का भंगो में आता है जिसका पटवारी सुरेन्द्र है। मेरी पटवारियों से कोई दुश्मनी व पुरानी उधार लेन–देन नही है। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाने पर समय 01:50 पी.एम. कार्यालय की आलमारी से विभागीय वॉईस रिकार्डर (पैन ड्राईव नुमा) निकलवा कर परिवादी श्री कँवर सिंह को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने के लिए विभागीय वॉईस रिकार्डर को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाई गई। मालखाना से नया मैमोरी कार्ड (SanDisk 16 GB micro SD) निकलवाकर वॉईस रिकार्डर में डालकर श्री श्याम सिंह कानि. 599 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी को आरोपीगण के पास भेजने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करें तथा रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता होने के बाद परिवादी के वापस आने पर वॉईस रिकार्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे तथा वापस कार्यालय में आकर पेश करें। फर्द सुपुर्दगीवाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की जाकर समय 02:00 पी.एम. पर श्री श्यामसिंह कानि. 599 को सरकारी मोटर साईकिल व परिवादी श्री कँवर सिंह को स्वयं की निजि मोटर साईकिल से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के कहे अनुसार आरोपीगण के पास हिण्डौन सिटी के लिए बाद हिदायत रवाना किया गया। समय 04:40 पी.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि. 599 मय सरकारी मोटर साईकिल के हिण्डौन सिटी रवाना शुदा हाजिर कार्यालय आया व बताया कि मैं और परिवादी श्री कँवर सिंह कार्यालय से रवाना होकर तहसील के पास हिण्डौन सिटी पहुंचे जहां मैने वाईस रिकार्डर चालू कर परिचय बोलकर परिवादी को सुपुर्द कर सुरेन्द्र पटवारी के कमरे पर भेजा, कुछ देर बाद परिवादी वापस आया जिससे मैने वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित रखा व परिवादी ने पूछने पर बताया कि पटवारी के कमरे की कून्दी लगी हुई थी। इस पर मैने पटवारी को कॉल किया तो पटवारी ने बताया कि मैं राजेन्द्र के साथ गांव आ गया हूं कल बात करेगे। इस पर आपके निर्देशानुसार परिवादी को रूकसत कर रवाना हो हाजिर कार्यालय आया हूं। समय 04:50 पी.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि. 599 से बन्द हालत में वाईस रिकार्डर (पैन ड्राईव नुमा) को जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया। वाईस रिकार्डर को कम्प्यूटर से अटैच कर टेबल स्पीकर के माध्यम से रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी की किसी भी व्यक्ति के साथ कोई वार्ता नही है केवल श्याम सिंह कानि. द्वारा बोला गया परिचय रिकार्ड है ऐसी स्थिति में वाईस रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता का कोई औचित्य नही होने से डिलीट किया जाकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 08.11.2023 को समय 11:08 ए.एम. पर परिवादी श्री कँवरसिंह ने अपने मोबाईल नं. 7568202373 से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नं. 9829682874 पर कॉल कर बताया कि आज मुझे पटवारी वार्ता करने के लिए बुला रहा है। मैं आपके पास करौली आउंगा तो समय अधिक लगेगा। आप किसी कर्मचारी को रिकार्डर देकर हिण्डौन भेज दो, मैं हिण्डौन तहसील के पास मिल जाउंगा। इस पर समय 11:10 ए.एम. पर कार्यालय की आलमारी से विभागीय वॉईस रिकार्डर (पैन ड्राईव नुमा) निकलवाकर श्री श्याम सिंह कानि. को विभागीय वॉईस रिकार्डर को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाई गई। इस कार्यवाही में पूर्व में प्रयोग किया गया मैमोरी कार्ड (SanDisk 16 GB micro SD) को कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर वॉईस रिकॉर्डर में डालकर श्री श्याम सिंह कानि. 599 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि हिण्डौन सिटी पहुंच परिवादी को आरोपीगण के पास भेजने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करें तथा रिश्वत मांग सत्यापन

संबंधी वार्ता होने के बाद परिवादी के वापस आने पर वॉईस रिकार्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे तथा वापस कार्यालय में आकर पेश करें। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 11:20 ए.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि. को सरकारी मोटर साईकिल मय वाईस रिकार्डर के परिवादी श्री कॅवर सिंह के पास हिण्डौन सिटी तहसील के पास बाद हिदायत रवाना किया गया। समय 03:35 पी.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि. बाद रिश्वत मांग सत्यापन के मय परिवादी श्री कॅवरसिंह व एक अन्य व्यक्ति के कार्यालय में पूर्व में ही आ गये है। मन पुलिस निरीक्षक राजकार्य से बाहर गया हुआ समय 04:40 पी.एम. पर कार्यालय आया जिस पर श्री श्याम सिंह कानि. ने बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना होकर हिण्डौन सिटी तहसील के पास पहुंचा जहां पर परिवादी श्री कॅवर सिंह मिला जिसने बताया कि पास में ही पटवारी के कार्य करने का कमरा है अभी श्री सुरेन्द्र पटवारी व राजेन्द्र पटवारी अपने कमरे पर ही है इसी को इन्होने अपनी ऑफिस बना रखा है तथा दोनो साथ ही काम करते है। मैं अभी इनसे रिश्वत की मांग करने इनके कमरे पर जाउंगा। इस पर मैने वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय बोलकर वाईस रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द कर आरोपीगण के पास उनके कमरे के लिए रवाना कर दिया। करीब 40–45 मिनट बाद परिवादी श्री कॅवरसिंह मेरे पास वापस आया और वाईस रिकार्डर मुझे दिया जिसको मैने प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित रख लिया व परिवादी ने पूछने पर बताया कि मेरी रिश्वत के सम्बन्ध में दोनो पटवारियों से बात हो गई है। इस पर मैं सरकारी मोटर साईकिल से तथा परिवादी अपनी मोटर साईकिल से हिण्डौन से रवाना होकर खेड़ा पहुंचे जहां पर परिवादी ने बताया कि मुझे करौली से वापस आते समय रात हो जायेगी, इसलिए में मेरे चाचा श्री दरब सिंह को साथ लेकर करौली चल रहा हूं। इस पर हम तीनो खेड़ा से रवाना होकर कार्यालय आ गये और कार्यालय में बैठ गये। वाईस रिकार्डर अभी मेरे पास सुरक्षित रखा हुआ है। परिवादी के साथ आये हुए व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम–पता श्री दरब सिंह पुत्र श्रीफल, उम्र 49 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम राजापुरा, पुलिस थाना सदर हिण्डौन सिटी, जिला करौली होना बताया। परिवादी द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही के बारे में पूर्व से ही जानकारी होना बताया। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर कार्यालय की बैरक में बिठाया गया। परिवादी ने पूछने पर बताया कि मैं हिण्डौन तहसील के पास ही श्री श्याम सिंह को मिल गया जहां पर मैने श्याम सिंह को पटवारियों के ऑफिस के बारे में बताया और कुछ समय बाद श्याम सिंह कानि. ने वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय रिकार्डर कर वाईस रिकार्डर मुझे दे दिया और मैं पटवारियों के कमरे पर रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता करने चला गया। पटवारियों की कमरे के अन्दर अन्य व्यक्ति होने के कारण मैं ऑफिस के बाहर ही बैठ गया और उनके जाने के बाद मैं अन्दर गया और सुरेन्द्र सिंह पटवारी से मैने सिवायचक जमीन पर मेरे द्वारा किये हुए कब्जे की कार्यवाही के बारे में वार्ता की तो पटवारी ने मेरे द्वारा सिवायचक जमीन पर किये हुए कब्जा जिसमें मैने सरसों की फसल वो रखी है की नाईन्टी वन की रिपोर्ट करने व नोटिस जारी करने की एवज में 15000 रूपये रिश्वत की मांग की व 2000 रूपये और एक्स्ट्रा देने की कह कर कुल 17000 रूपये रिश्वत की मांग की गई। मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 24.10.2023 को 5000 रूपये दिये जाने की कहने पर पटवारी ने आज शेष 12000 रूपये रिश्वत की मांग की है व कल या परसो देने के लिए कहा है। सुरेन्द्र सिंह पटवारी द्वारा मांगी गई रिश्वत के समय राजेन्द्र सिंह पटवारी भी वही पर मौजुद था तथा बीच–बीच में वह भी सुरेन्द्र सिंह पटवारी के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था, सभी वार्ता वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है। समय 04:50 पी.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि. ने मांगने पर मौतबिरान एवं परिवादी के सामने अपने पास से बन्द हालत में वाईस रिकार्डर (पैन ड्राईव नुमा) मन पुलिस निरीक्षक को पेश किया जिसे जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया गया। समय 05:00 पी.एम. पर वाईस रिकार्डर को गवाहान व परिवादी श्री कॅवरसिंह की मौजुदगी में कार्यालय के लेपटॉप (TOSHIBA कम्पनी) से कनेक्ट कर रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता (43 मिनट 42 सैकेण्ड) को लेपटॉप से टेबल स्पीकर कनेक्ट करवाकर स्पीकर की मदद से गवाहान व परिवादी श्री कॅवरसिंह की मौजुदगी में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना जाकर परिवादी से रिकार्ड वार्ता में स्वयं परिवादी की व आरापीगणों की आवाजों की पहचान करवाकर फर्द रूपान्तरण तैयार किया जाकर हिन्दी रूपान्तरण किया गया। श्री केशव देव कानि. 600 से उक्त रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की लेपटॉप की सहायता से पृथक–पृथक दो मुलजिम प्रति DVD (SONY कम्पनी) मार्क A-1 व मार्क A-2 एवं एक आई.ओ. प्रति DVD (SONY कम्पनी) मार्क A-3 डब करवाई जाकर मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता का

[redacted]

मिलान करवाकर उक्त तीनों डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपड़े की थैली में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति DVD के अलावा दोनो मुलजिम प्रति डीवीडीयों को शील्ड मोहर किया गया। न्यायालय प्रति हेतु मूल मैमोरी कार्ड (SanDisk 16 GB micro SD) मार्क A को कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। आई.ओ. प्रति DVD को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। वाईस रिकार्डर को एन्टीवाईरस से स्केन किया जाकर हैज वैल्यू निकाली गई एवं डब डीवीडी मार्क ए–3 आई.ओ. प्रति की हैज वैल्यू निकाली गई। उक्त दोनो हैज वैल्यू को शामिल पत्रावली की गई। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट, मजिद दरियाप्त व फर्द रूपान्तरण रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से आरोपी सुरेन्द्र पटवारी, पटवार हल्का भंगो, तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली एवं श्री राजेन्द्र पटवारी, पटवार हल्का बझेड़ा, तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली द्वारा आपस में मिलीभगत कर परिवादी से उसके द्वारा सिवायचक जमीन पर किये हुए कब्जा जिसमें परिवादी द्वारा सरसों की फसल वो रखी है की 91 भू–राजस्व अधिनियम में कार्यवाही करने की एवज में 17000 रूपये रिश्वत की मांग कर पूर्व में 5000 रूपये प्राप्त करना स्वीकार कर शेष 12000 रूपये रिश्वत की मांग करना स्पष्ट पाया गया। रिश्वत लेन–देन दिनांक 09.11.2023 या दिनांक 10.11.2023 को तय होना पाया गया। समय 11:58 पी.एम. पर अलग–अलग कपड़े की थैली में शील्ड शुदा दो मुलजिम प्रति DVD मार्क A-1 व मार्क A-2 एवं न्यायालय प्रति मूल मैमोरी कार्ड (SanDisk 16 GB micro SD) मार्क A को मालखाना प्रभारी श्री बृजेश कुमार कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। दिनांक 09.11.2023 को समय 12:10 ए.एम. पर परिवादी श्री कॅवरसिंह को हिदायत दी गई कि आरोपीगण को रिश्वत में देने हेतु 12,000 रूपयों की व्यवस्था कर दिनांक 09.11.2023 को समय 10:00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होवे, इस पर परिवादी ने कहा कि मुझे कल बहुत जरूरी कार्य है मैं दिनांक 10.11.2023 को आपके कार्यालय में समय 10:00 ए.एम. उप उपस्थित हो जाउंगा। इस पर गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर परिवादी श्री कॅवरसिंह व परिवादी के चाचा श्री दरब सिंह को रूकसत किया गया।

दिनांक 10.11.2023 को समय 11:15 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री कवंरसिंह व श्री दरब सिंह उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी ने पूछने पर बताया कि पटवारियों द्वारा मांग की गई रिश्वत राशि 12000/–रुपये साथ लेकर आया हूं इस पर परिवादी व श्री दरब सिंह को कार्यालय मे बिठाया गया एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान तलबी बाबत श्रीमान उप वन संरक्षक जिला करौली के पदनाम से पत्र क्रमांक 1395 दिनांक 10.11.2023 जारी कर गवाहान हमराह लाने हेतु श्री राकेश सिंह कानि 268 को कार्यालय उप वन संरक्षक करौली के लिए मय सरकारी मोटर साईकिल के बाद हिदायत रवाना किया गया। समय 12:35 पी.एम. पर श्री राकेश सिंह कानि. 268 कार्यालय उप वन संरक्षक करौली के पत्र क्रमांक 8791 दिनांक 10.11.2023 द्वारा पाबन्द करवाये गये दो स्वतंत्र गवाह हमराह लेकर उपस्थित कार्यालय में आया। मन पुलिस निरीक्षक ने श्री राकेश सिंह कानि. के साथ आये दोनों स्वतंत्र गवाहान से उनका नाम पता पूछा तो उन्होनें ने अपने–अपने नाम क्रमशः श्री मनेन्द्र सिंह पुत्र श्री बृजेन्द्र सिंह, जाति बघेल, उम्र 22 साल निवासी सिविल लाईन गढपुरा रोड धौलपुर, पुलिस थाना निहालगंज, जिला धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली एवं श्री उदय सिंह गुर्जर पुत्र श्रीफल गुर्जर, उम्र 35 साल, निवासी ग्राम कसाने का नगला, पुलिस थाना सूरौठ, जिला करौली हाल वनरक्षक, कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली होना बताया। स्वतन्त्र गवाह श्री उदय सिंह गुर्जर वन रक्षक ने अपना स्वास्थ्य खराब होना बताया। इस पर श्रीमान उप वन संरक्षक करौली को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये मोबाईल स्वंतन्त्र गवाह श्री उदय सिंह के स्थान पर अन्य कर्मचारी भिजवाने का निवेदन किया, इस पर उप वन संरक्षक करौली द्वारा पत्र क्रमांक 8794 दिनांक 10.11.2023 से श्री अरूण सिंह कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आया। जिससे नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री अरूण सिंह पुत्र श्री विशन सिंह, जाति पुजारी, उम्र 28 साल, निवासी जाटोली घना, पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली होना बताया। इस पर पूर्व में उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री उदय सिंह गुर्जर वनरक्षक को बाद हिदायत रूकसत किया गया। समय 12:50 पी.एम. पर कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री कॅवर सिंह से स्वतंत्र गवाहान श्री मनेन्द्रसिंह कनिष्ठ सहायक व अरूण सिंह कनिष्ठ सहायक का आपस में परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट पढने को दी गई। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह

[redacted]

रहने की मौखिक सहमति दी एवं परिवादी द्वारा पेश शुदा रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रमाण स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर किये एवं स्वतंत्र गवाहान को अब तक की कार्यवाही से अवगत कराया गया। समय 01:00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री कॅवर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह, उम्र 36 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम राजापुरा, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली ने मांगने पर आरोपी सुरेन्द्र पटवारी, पटवार हल्का भंगो एवं श्री राजेन्द्र पटवारी, पटवार हल्का बझेड़ा, तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 24 नोट कुल 12,000/–रूपये अपने पास से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

कम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	एक नोट 500 रूपये का	0 DN 746623
2.	एक नोट 500 रूपये का	3 WQ 807076
3.	एक नोट 500 रूपये का	1 SH 613308
4.	एक नोट 500 रूपये का	1 MG 739265
5.	एक नोट 500 रूपये का	2 CC 111676
6.	एक नोट 500 रूपये का	4 FE 639426
7.	एक नोट 500 रूपये का	8 BH 419576
8.	एक नोट 500 रूपये का	3 FV 850800
9.	एक नोट 500 रूपये का	2 BL 785367
10.	एक नोट 500 रूपये का	3 PS 397827
11.	एक नोट 500 रूपये का	2 KH 991558
12.	एक नोट 500 रूपये का	1 MP 070104
13.	एक नोट 500 रूपये का	0 FV 602378
14.	एक नोट 500 रूपये का	9 EH 170374
15.	एक नोट 500 रूपये का	2 GK 170400
16.	एक नोट 500 रूपये का	6 PD 051430
17.	एक नोट 500 रूपये का	1 CG 849489
18.	एक नोट 500 रूपये का	1 BU 555212
19.	एक नोट 500 रूपये का	8 RS 946967
20.	एक नोट 500 रूपये का	9 QB 667619
21.	एक नोट 500 रूपये का	2 KG 503570
22.	एक नोट 500 रूपये का	0 GK 095616
23.	एक नोट 500 रूपये का	6 PS 453566
24.	एक नोट 500 रूपये का	6 PA 082604

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री राकेश सिंह कानि 268 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर श्री राकेश सिंह कानि 268 से एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 12,000/–रूपये के उपरोक्त नोटो पर भली–भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री कॅवर सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मनेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नही मिली। इसके बाद श्री राकेश सिंह कानि 268 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 12,000/–रूपये के नोट परिवादी श्री कवंर सिंह के बदन पर पहनी हुई जीन्स पेन्ट की पीछे की दांयी तरफ के जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटों को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे तथा आरोपी उक्त नोटों को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने चहरे पर बांधे हुये मफलर को खोलकर ईशारा करे या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल करें। इसके बाद दोनों गवाहों को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करें, इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री मनेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक से कार्यालय में से एक कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल

में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री राकेश सिंह कानि 268 के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाह को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को बंद करवाकर श्री राकेश सिंह कानि 268 से वापस कार्यालय की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह श्री मनेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री राकेश सिंह कानि 268 से गिलास के धोवन को कार्यालय के अन्दर लैट बाथ में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, स्टील के कटोरो आदि को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा मन पुलिस निरीक्षक ने अपने—अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी श्री कॅवर सिंह को रिश्वत लेन—देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर (पैनड्राईव नुमा) को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर मालखाना से मैमोरी कार्ड (SanDisk 16 GB micro SD) निकलवाकर वाईस रिकार्डर में लगवाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई। समय 01:50 पी.एम. पर शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये जाकर आपस में एक—दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई एवं विभागीय परिचय पत्र व मोबाईल को छोडकर कोई वस्तु नही पाई गई तथा परिवादी को बताये गये रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के बारे में बताया गया एवं नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री राकेश सिंह कानि. 268 को कार्यालय में बाद हिदायत छोडा जाकर परिवादी श्री कॅवर सिंह को स्वयं की निजी मोटर साईकिल से, श्री सुमेर सिंह हैड कानि. 70 व श्री बृजेश कुमार कानि. 461 को सरकारी मोटर साईकिल से तथा श्री केशव देव कानि. 600 व श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. 277 को केशव की निजी मोटर साईकिल से तथा मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक मय श्री समय सिंह हैड कानि. 45, श्री कपिल सिंह कानि. 168, श्री श्याम सिंह कानि. 599, श्री विष्णु सिंह कानि. 135 एवं स्वतंत्र गवाह श्री मनेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक व स्वतंत्र गवाह श्री अरूण सिंह कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन बोलेरो मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक 562 मय लेपटॉप—प्रिन्टर, स्पीकर, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर समय 02:50 पी.एम. पर मुख्य डाकघर हिण्डौन सिटी के मेन गेट के पास पहुंचा जहां परिवादी श्री कॅवर सिंह को वाईस रिकार्डर चालू कर आरोपीगण के पास रिश्वत लेन—देन हेतु रवाना किया गया एवं मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी को परिवादीगण के पीछे—पीछे उचित दूरी बनाने की हिदायत कर रवाना हुए। समय 03:15 पी.एम. पर परिवादी श्री कॅवर सिंह मुख्य डाकघर की तरफ आया व अन्दर जाकर कुछ लोगो से मिलकर बात कर जयकारा लगाया व वापस बाहर रोड़ पर आकर परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को देखकर स्वतंत्र गवाहान के सामने अपने चहरे पर से मफलर हटाकर निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के पास पहुंच वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित रखा है परिवादी ने पूछने पर बताया कि कमरे के अन्दर सुरेन्द्र पटवारी व राजेन्द्र पटवारी बैठ कर काम कर रहे है, अभी—अभी मेरे से पूर्व में मांगे हुए राजेन्द्र पटवारी ने रिश्वत के 12000 रुपये लेकर दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की ऊपर की बांयी जेब में रख लिये है और अभी कमरे में ही बैठे है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी एवं परिवादी श्री कवंर सिंह को साथ लेकर परिवादी ने आगे—आगे चलकर लोहे के गेट मे अन्दर प्रवेश कर बांयी तरफ बने हुये कमरा की तरफ इशारा कर बताया कि कमरे के अन्दर सुरेन्द्र पटवारी व राजेन्द्र पटवारी बैठ कर काम कर रहे है, अभी—अभी मेरे से पूर्व में मांगे हुए राजेन्द्र पटवारी ने रिश्वत के 12000 रुपये लेकर दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की ऊपर की बांयी जेब में रख लिये है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी को साथ लेकर परिवादी के बताये हुये कमरे में समय 03:30 पी.एम. पर अन्दर प्रवेश किया जहां पर दो व्यक्ति कुर्सी पर बैठे हुये टेबल पर कुछ कार्य कर रहे थे। जिनको मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना परिचय पत्र दिखाकर मन पुलिस निरीक्षक व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर दोनो का नाम व पता पूछा तो अपना नाम क्रमशः राजेन्द्र कुमार गुर्जर पुत्र श्री आराम सिहं जाति गुर्जर उम्र 50 साल निवासी ग्राम खेडली गुर्जर पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डोन सिटी जिला करौली हाल पटवारी पटवार हल्का बझेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली व सुरेन्द्र पाल सौलंकी पुत्र श्री निहाल सिंह जाति जाट उम्र 47 साल निवासी महूखास पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी जिला करौली हाल पटवारी पटवार हल्का भंगो तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली होना बताया। श्री सुरेन्द्र पाल सोलंकी पटवारी ने पूछने पर बताया की कुवंर सिंह जिसको हम पप्पू के नाम से जानते है पप्पू व इसकी माता श्रीमति केशुला

[redacted]

व अन्य ने पटवार हल्का भंगो के रकबा में सिवायचक जमीन में से 8 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है व अभी सरसों की फसल बुआई कर रखी है जिसकी हमनें खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्ताकित काश्त पर रिपोर्ट कर रखी है। पूर्व में रबी की फसल की भी रिपोर्ट कर रखी है। वर्ष 2022 तक की इनकी रसीद कटी हुई है। वर्ष 2023 की रसीद विधानसभा चुनाव के बाद काटते, रसीद कितने रुपये की कटेगी यह हमने अभी ज्ञात नही किया है। श्रीमति केशुला पत्नी श्री धर्म सिंह गुर्जर, कॅवर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह गुर्जर, श्रीमति रामपति पत्नी श्री रामेश्वर गुर्जर, श्री रामेश्वर पुत्र श्री सुरज्ञान गुर्जर, श्री प्रकाश पुत्र श्री रामेश्वर गुर्जर निवासीयान ग्राम राजापुरा, पटवार हल्का भंगो, तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली द्वारा सिवायचक जमीन पर किये हुए कब्जे जिसमें रबी व खरीफ की फसल की 91 भू-राजस्व अधिनियम की रसीद काटने के लिए अभी कॅवर सिंह से 12000 रूपये देकर गया है। हमने इनसे कोई रिश्वत की मांग नही की है। खरीफ की फसल की मैने उक्त पांचो की खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुश्तकिल काश्त संवत 2080 वर्ष 2023 पटवार हल्का भंगो (खसरा परिवर्तनशील (पी-14) 2080 में रिपोर्ट कर रखी है एवं 2 की रबी की फसल के की हुई है तथा 3 की शेष है। इस पर राजेन्द्र कुमार गुर्जर पटवारी ने पूछने पर बताया कि कॅवर सिंह मेरा रिश्तेदार है और इसी वजह से मैने कॅवर सिंह व इनके परिजन द्वारा 8 बीघा सिवायचक जमीन पर किये हुए कब्जा जिसमें इनके द्वारा पूर्व में खरीफ की फसल बोई थी तथा अभी रबी की फसल बो रखी है। उक्त दोनो की रसीद चुनाव बाद काटते। किसान से हम एक साथ ही रूपये लेते है। हमने कॅवर सिंह किसी प्रकार की रिश्वत की मांग नही की। मैं और सुरेन्द्र पटवारी भारतीय सेना से सेवानिवृत है। इस पर मौके पर मौजुद परिवादी श्री कॅवर सिंह ने पूछने पर बताया कि दोनो पटवारी झूठ बोल रहे है इनने रसीद काटने के रूपये नही लिये है। मेने कहा मेरा काम हो जाना चाहिये तो राजेन्द्र पटवारी ने कहा कि काम हो जायेगा। राजेन्द्र पटवारी ने मेरे से रिश्वत राशि के 12000/-रुपये प्राप्त कर दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट के सामने के बांयी जेब में रख लिये। इस पर आरोपी राजेन्द्र कुमार गुर्जर पटवारी ने रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर बताया कि 12000 रूपये में से 7000 रूपये मेरी शर्ट की सामने की ऊपर की बांयी जेब में रखे है तथा मैने 5000 रूपये सुरेन्द्र पटवारी को दे दिये है। इस पर आरोपी सुरेन्द्र पाल सौलंकी पटवारी ने रिश्वत राशि के बारे में बताया कि अभी कॅवर सिंह ने राजेन्द्र पटवारी को 12000 रूपये दिये उनमें से राजेन्द्र ने अभी मेरे को 5000 रूपये दिये है वो मेरी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी जेब में रखे है। इसके पश्चात सरकारी वाहन से ट्रेप वॉक्स मंगवाकर ट्रेप वॉक्स में से स्वतंत्र गवाह मनेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक से स्टील का कटोरा, चम्मच व साबुन निकलवाकर कमरे में रखे पानी की बोतल में से स्टील के कटोरा को साबुन पानी से साफ धुलवाकर कटोरा में साफ पानी भरवाकर ट्रेप वॉक्स में सोडियम कार्बोनेट का डिब्बा निकलवाकर स्टील के कटोरा में थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया, उक्त घोल में आरोपी राजेद्र कुमार गुर्जर पटवारी के दाहिने हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात पुनः उक्त स्वतंत्र गवाह से ही ट्रेप बॉक्स से दूसरा स्टील का कटोरा निकलवाकर कटोरा व चम्मच को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया, उक्त घोल में आरोपी राजेद्र कुमार गुर्जर पटवारी के बांये हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात आरोपी राजेद्र कुमार गुर्जर पटवारी ने मांगने पर परिवादी श्री कॅवर सिंह से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 7000 रूपये अपनी पहनी हुई शर्ट की ऊपर की बांयी जेब में से 500-500 रूपये के मुडे हुए नोट निकालकर पेश किये जिनको सीधे ही स्वतंत्र गवाह श्री अरूण सिंह कनिष्ठ सहायक को दिलवाकर गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 14 नोट कुल 7000 रूपये होना बताया। उक्त रिश्वत राशि के नोटो के नम्बरो का मिलान ए.सी.बी. कार्यालय करौली में तैयार की गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरो से दोनो स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो नोटो के नम्बर क्र.सं. 11 से 24 तक हूबहू होना पाये गये, जिनका विवरण फर्द में अंकित किया जाकर नम्बरी रिश्वत राशि 7,000/-रूपये को बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। आरोपी राजेद्र कुमार गुर्जर पटवारी द्वारा मांगने पर अपनी पहनी हुई शर्ट उतार कर पेश तथा कमरे टुगी हुई टी-शर्ट पहनाई गई। स्वतंत्र गवाह अरूण सिंह कनिष्ठ सहायक के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर स्टील के कटोरा को साबुन पानी से साफ धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बा मे से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर

पेन से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया जिसमें आरोपी राजेद्र कुमार गुर्जर पटवारी की पहनी हुई शर्ट की ऊपर की बांयी जेब को उलटवाकर उक्त घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क S-1 व S-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। शर्ट का कलर लाल और नीला बारीक चैक है। आरोपी पटवारी की शर्ट की जेब सुखवाकर जेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शर्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर शील्ड मोहर कर मार्क S अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह मनेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक से स्टील कटोरा को साबुन–पानी साफ धुलवाकर कटोरा में साफ पानी भरवाकर थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया, उक्त घोल में आरोपी सुरेन्द्र पाल सौंलकी पटवारी के दाहिने हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क RH-3 व RH-4 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात पुनः उक्त स्वतंत्र गवाह से ही ट्रेप बॉक्स से दूसरा स्टील का कटोरा निकलवाकर कटोरा को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी सुरेन्द्र पाल सौंलकी पटवारी के बांये हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क LH-3 व LH-4 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात आरोपी सुरेन्द्र पाल सौंलकी पटवारी द्वारा मांगने पर को परिवादी श्री कॅवर सिंह से प्राप्त की गई रिश्वत राशि में आरोपी राजेन्द्र कुमार गुर्जर पटवारी द्वारा दी गई रिश्वत राशि 5000 रूपये पेश करने की कहने पर आरोपी पटवारी द्वारा अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी जेब में से 500–500 रूपये के मुडे हुए नोट निकालकर पेश किये जिनको सीधे ही स्वतंत्र गवाह श्री अरूण सिंह कनिष्ठ सहायक को दिलवाकर गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5000 रूपये होना बताया। उक्त रिश्वत राशि के नोटो के नम्बरो का मिलान ए.सी.बी. कार्यालय करौली में तैयार की गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरो से दोनो स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो नोटो के नम्बर क्र.सं. 15 से 24 तक हूबहू होना पाये गये, जिनका विवरण फर्द में अंकित किया जाकर नम्बरी रिश्वत राशि 5,000/–रूपये को बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। आरोपी सुरेन्द्र पाल सौलंकी पटवारी द्वारा मांगने पर अपनी पहनी हुई पेन्ट उतार कर पेश तथा कमरे टंगा हुआ लोवर पहनाया गया। पेन्ट की पीछे की दांयी जेब को छोडकर पेन्ट के अन्य जेबो की तलाशी लिवाई गई तो कोई राशि व दस्तावेज नही मिले। स्वतंत्र गवाह अरूण सिंह कनिष्ठ सहायक के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर स्टील के कटोरा को साबुन पानी से साफ धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बा मे से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर पेन से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया जिसमें आरोपी सुरेन्द्र पाल सौंलकी पटवारी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी जेब को उलटवाकर उक्त घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। पेन्ट का कलर काला व सफेद स्पॉट है। आरोपी पटवारी की पेन्ट के जेब को सुखवाकर जेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर शील्ड मोहर कर मार्क P अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पृथक से प्राप्त किये जाकर जरिये फर्द जप्ती जप्त किये जावेगे। मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे हुए वाईस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकार्ड होना पाई गई जिसको ए.सी.बी. कार्यालय करौली में पहुंच पृथक से सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। वाईस रिकार्डर को मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया। फर्द बरामदगी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 05:25 पी.एम. पर आरोपीगण का तहसील कार्यालय हिण्डौन सिटी जिला करौली से सेवा विवरण प्राप्त किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 05:30 पी.एम. पर परिवादी की निशादेही से स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 06:00 पी.एम. पर मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री मनेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक व स्वतंत्र गवाह श्री अरूण सिंह कनिष्ठ सहायक, श्री केशव

देव कानि., श्री विष्णु सिंह कानि., श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. मय सरकारी वाहन बोलेरो मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक के आरोपी सुरेन्द्र पाल सौंलकी पटवारी के निवास स्थान ग्राम महू खास की खाना तलाशी हेतु व आरोपी राजेन्द्र कुमार गुर्जर पटवारी के निवास स्थान ग्राम खेड़ली गुर्जर की खाना तलाशी हेतु परिवादी व गिरफ्तार शुदा आरोपीगण को तथा ट्रेप बॉक्स को शेष जाप्ता की निगरानी में बाद हिदायत पटवार घर हिण्डौन सिटी में छोडा जाकर रवाना हुआ जिस पर समय 06:40 पी.एम. पर आरोपी सुरेन्द्र पाल सोंलकी के निवास स्थान ग्राम महू खास पहुंचा व आरोपी के निवास स्थान की नियमानुसार खाना तलाशी जरिये फर्द ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई एवं बाद खाना तलाशी मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता मय सरकारी वाहन मय पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी का जाप्ता व महिला कानि. के रवाना होकर समय 09:10 पी.एम. पर आरोपी राजेन्द्र कुमार गुर्जर पटवारी के निवास स्थान ग्राम खेड़ली गुर्जर पहुंच आरोपी के निवास स्थान की नियमानुसार खाना तलाशी जरिये फर्द ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई एवं बाद खाना तलाशी पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी के जाप्ता को रूकसत कर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता मय सरकारी वाहन के ग्राम खेड़ली गुर्जर से रवाना होकर समय 11:55 पी.एम. पर पटवार घर हिण्डौन सिटी पहूंचा जहां जाप्ता ने बताया कि आरोपीगण दोनो पटवारियों को खाना मंगवा कर खाना खिला दिया है।

दिनांक 11.11.2023 को समय 12:05 ए.एम. आरोपी सुरेन्द्र पाल सोलंकी पटवारी पटवार हल्का भंगो तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली को जुर्म से आगाह कर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित वर्ष 2018) व 120 बी भा.द.सं. में लिप्त पाये जाने पर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 12:20 ए.एम. पर आरोपी राजेन्द्र कुमार गुर्जर पटवारी पटवार हल्का बझेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली को जुर्म से आगाह कर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित वर्ष 2018) व 120 बी भा.द.सं. में लिप्त पाये जाने पर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 12:25 पी.एम. पर श्री सुरेश हरसोलिया उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी द्वारा तहसील कार्यालय हिण्डौन सिटी से भिजवाया गया श्री मनीष आर्य ऑफिस कानूनगो, तहसील कार्यालय हिण्डौन सिटी, जिला करौली उपस्थित पटवार घर हिण्डौन सिटी आया। समय 12:30 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री कॅवर सिंह एवं तलबिदा श्री मनीष आर्य ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय हिण्डौन सिटी जिला करौली की मौजुदगी में मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के पैण्डिग कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज मांगने पर आरोपी सुरेन्द्र पाल सौंलकी पटवारी द्वारा पटवार घर में अपने कार्य करने की टेबल की दराज में से परिवादी के कार्य से सम्बन्धित निम्न दस्तावेज पेश किये, (1) संवत 2080 वर्ष 2023 की तहसीलदार (भू–अभिलेख) हिण्डौन सिटी जिला करौली से जारी रसीद बुक संख्या 003304 क्र.सं. 01 से 50 तक प्रथम प्रति मौजुद है एवं प्रपत्र संख्या सं. 33 पर प्रिन्टेड है। उक्त सभी रसीद कटी हुई है। रसीद बुक पर तहसीलदार (भू–अभिलेख) हिण्डौन सिटी जिला करौली की गोल मोहर लगी हुई है। आरोपी सुरेन्द्र पाल सौंलकी पटवारी द्वारा परिवादी के कार्य से सम्बन्धित रसीद क्रमांक क्र.सं. 02, 03, 04, 05, 26, 27, 28, 29 49 व 50 होना बताया। अन्तिम रसीद क्र.सं. 50 दिनांक 26.12.2022 को कटी हुई है। वर्ष 2023 की रसीद अभी काटना नही बताया तथा विधान सभा आम चुनाव 2023 के बाद काटना बताया। प्रथम रसीद व अन्तिम रसीद पर सम्बन्धित हस्ताक्षर करवाये गये (2) संवत 2080 वर्ष 2023 की तहसीलदार (भू–अभिलेख) हिण्डौन सिटी जिला करौली से जारी खसरा परिवर्तन निर्धारण तथा गैर मुस्तकिस काश्त संवत 2080 वर्ष 2023 ग्राम भंगो पटवार क्षेत्र भंगो निरीक्षक क्षेत्र बझेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान है जो प्रपत्र संख्या प 14 पर प्रिन्टेड है। उक्त पर तहसीलदार (भू–अभिलेख) हिण्डौन सिटी जिला करौली की गोल मोहर लगी हुई है। आरोपी सुरेन्द्र पाल सौंलकी पटवारी द्वारा परिवादी के कार्य से सम्बन्धित खरीफ फसल की धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की रिपोर्ट पुष्ठ संख्या 02 पर क्र.सं. 07 से 10 तक एवं रबी की फसल की धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की रिपोर्ट पुष्ठ संख्या 3 पर क्र.सं. 01 पर होना बताया, शेष रबि की फसल की रिपोर्ट होना बाकि है। उक्त रिपोटो की अभी रसीद नही कटना बताया तथा विधान सभा आम चुनाव 2023 के बाद काटना बताया। पृथम पृष्ठ व अन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धित हस्ताक्षर करवाये गये। बाद जप्त करने उक्त रिकार्ड को शामिल पत्रावली किया गया। समय 01:05 ए.एम. पर दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 08.11.2023 को रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की डी.वी.डी. मार्क ए–3 व रिश्वत लेन–देन वार्ता दिनांक 10.11.20323 को कम्प्यूटर से चालू कर श्री मनीष आर्य ऑफिस कानूनगो को स्पीकर की सहायता से सुनाया गया तो श्री मनीष आर्य ऑफिस कानूनगो ने प्रकरण में गवाह बनने से मना किया। ऑफिस कानूनगो को बताया कि अगर

आप आवाज पहचानते है तो हां करे व बताये किसकी आवाज है और अगर आप नही पहचानते है मना कर दिजीए, लेकिन ऑफिस कानूनगो द्वारा पुनः गवाह बनने से मना किया गया। ऑफिस कानूनगो द्वारा प्रकरण में गवाह बनने से मना करने पर हालात से श्री सुरेश हरसोलिया उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी को जरिये मोबाईल अवगत किया गया। बाद ट्रेप कार्यवाही आरोपीगण पटवारियों के पटवार घर हिण्डौन सिटी का ताला लगवाया जाकर चाबी तलब शुदा श्री मनीष आर्य ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय हिण्डौन सिटी जिला करौली को सुपुर्द कर निर्देश दिये कि उक्त कमरे में पटवार हल्का भंगो व पटवार हल्का बझेडा तथा पटवार हल्का खेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली का मूल रिकार्ड है। अतः तहसीलदार हिण्डौन सिटी द्वारा रिकार्ड सुपुर्दगी/चार्ज लेन–देन की चार्जलिस्ट की नियमानुसार कार्यवाही कर राजकार्य सम्पादित करावे। समय 01:40 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी सदस्य व गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण राजेन्द्र कुमार गुर्जर पटवारी व सुरेन्द्र पाल सोंलकी पटवारी मय बरामद शुदा शील्ड नम्बरी रिश्वती राशि 7000 व 5000 रूपये व जप्त/शील्डशुदा शीशी मार्क RH–1, RH–2, RH–3, RH–4, LH–1, LH–2, LH–3, LH–4, S–1, S–2, P–1, P–2 एवं शील्ड शर्ट पैकेट मार्क S व शील्ड पेन्ट पैकेट मार्क P मय जप्त शुदा रिकार्ड आदि के मय लेपटॉप, प्रिन्टर, स्पीकर, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणों के बाद ट्रेप कार्यवाही सरकारी वाहन बोलेरो व मोटर साईकिलो के रवाना होकर समय 02:40 ए.एम. पर ए.सी.बी. कार्यालय करौली में पहुंच ट्रेप कार्यवाही में बरामद जप्त/शील्ड शुदा उक्त आर्टीकल को मालखाना प्रभारी श्री बृजेश कुमार कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। समय 02:55 ए.एम. पर श्री सुमेर सिंह हैड कानि. मय जाप्ता को गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण राजेन्द्र कुमार गुर्जर पटवारी व सुरेन्द्र पाल सोंलकी पटवारी का स्वास्थ्य परीक्षण कराने तथा बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना कोतवाली करौली में बंद हवालात कराने हेतु पृथक–पृथक से ड्यूटी ऑफीसर जिला चिकित्सालय करौली व थानाधिकारी कोतवाली करौली के नाम तहरीर जारी कर मय वाहन सरकारी बोलरो मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक के जिला चिकित्सालय करौली व पुलिस थाना कोतवाली करौली के लिये रवाना किया गया जो गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण राजेन्द्र कुमार गुर्जर पटवारी व सुरेन्द्र पाल सोंलकी पटवारी का जिला चिकित्सालय करौली में स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण के पुलिस थाना कोतवाली करौली पहुंच अभियुक्त को बंद हवालात करवाया जाकर कोतवाली करौली से रवाना होकर समय 03:15 ए.एम. पर हाजिर कार्यालय आये। समय 04:00 ए.एम. पर वाईस रिकार्डर को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजुदगी में कार्यालय के लेपटॉप (TOSHIBA कम्पनी) से कनेक्ट कर रिकार्ड रिश्वत लेन–देन वार्ता दिनांक 10.11.2023 (28 मिनट 18 सैकेण्ड) को लेपटॉप से टेबल स्पीकर कनेक्ट करवाकर स्पीकर की मदद से स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री कॅवरसिंह की मौजुदगी में सुना जाकर परिवादी से रिकार्ड वार्ता में स्वयं परिवादी की व आरापीगणों की आवाजों की पहचान करवाकर फर्द रूपान्तरण तैयार किया जाकर हिन्दी रूपान्तरण किया गया। श्री केशव देव कानि. 600 से उक्त रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की लेपटॉप की सहायता से पृथक–पृथक दो मुलजिम प्रति DVD (SONY कम्पनी) मार्क B-1 व मार्क B-2 एवं एक आई.ओ. प्रति DVD (SONY कम्पनी) मार्क B-3 डब करवाई जाकर मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त तीनों डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपड़े की थैली में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति DVD के अलावा दोनो मुलजिम प्रति डीवीडीयों को शील्ड मोहर किया गया। न्यायालय प्रति हेतु मूल मैमोरी कार्ड (SanDisk 16 GB micro SD) मार्क B को कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। आई.ओ. प्रति DVD को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। वाईस रिकार्डर को एन्टीवाईरस से स्केन किया जाकर हैज वैल्यू निकाली गई एवं डब डीवीडी मार्क B-3 आई.ओ. प्रति की हैज वैल्यू निकाली गई। उक्त दोनो हैज वैल्यू को शामिल पत्रावली की गई। समय 06:30 ए.एम. पर अलग–अलग कपड़े की थैली में शील्ड शुदा दो मुलजिम प्रति DVD मार्क B-1 व मार्क B-2 एवं न्यायालय प्रति मूल मैमोरी कार्ड (SanDisk 16 GB micro SD) मार्क B को मालखाना प्रभारी श्री बृजेश कुमार कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। समय 07:00 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 28 को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया एवं उक्त नष्ट शुदा शील को पृथक से एक कपड़े की थैली में रखवाकर सम्बन्धित हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की थैली पर मार्क "NS" अंकित किया जाकर कार्यालय की बिना नम्बरी सील से शील्ड मोहर किया गया। फर्द नष्ट नमूना पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई व उक्त पैकिट को पृथक से जमा मालखाना करवाया गया। समय 08:00 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान श्री मनेन्द्रसिंह कनिष्ठ सहायक व अरूण सिंह कनिष्ठ सहायक तथा परिवादी श्री कॅवर सिंह को बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही के रूकसत किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त सुरेन्द्र पाल सौलंकी पटवारी पटवार हल्का भंगो तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली एवं राजेन्द्र कुमार गुर्जर पटवारी पटवार

हल्का बझेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली द्वारा आपस में मिलीभगत कर स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से दिनांक 08.11.2023 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी श्री कॅवर सिंह से स्वयं परिवादी व उसके परिजन द्वारा सिवायचक जमीन पर किये हुए कब्जा जिसमें सरसों की फसल वो रखी है की 91 भू–राजस्व अधिनियम में रिपोर्ट करने की एवज में 17000 रूपये रिश्वत की मांग कर पूर्व में 5000 रूपये प्राप्त करना स्वीकार कर शेष 12000 रूपये रिश्वत की मांग करना एवं उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 10.11.2023 को स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया तो दोनो अभियुक्तगण सुरेन्द्र पाल सौलंकी पटवारी व राजेन्द्र कुमार गुर्जर पटवारी द्वारा आपस में मिलीभगत कर परिवादी से वार्ता कर अभियुक्त राजेन्द्र कुमार गुर्जर पटवारी द्वारा परिवादी से पटवार घर हिण्डौन सिटी में रिश्वत राशि 12000 रूपये प्राप्त कर अपने दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की ऊपर की बांयी जेब में रखना तथा परिवादी के बाहर जाने पर अभियुक्त राजेन्द्र कुमार गुर्जर पटवारी द्वारा उक्त रिश्वत राशि में से 5000 रूपये अभियुक्त सुरेन्द्र पाल सोंलकी पटवारी को देना जिसके द्वारा भी रिश्वत राशि को गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी जेब में रखना तथा परिवादी के निर्धारित ईशारे पर ट्रेप कार्यवाही कर दोनो अभियुक्तगण की हाथ धुलाई करवाई जाकर अभियुक्त राजेन्द्र कुमार गुर्जर पटवारी से 7000/–रूपये एवं अभियुक्त सुरेन्द्र पाल सौलंकी पटवारी से 5000/–रूपये बरामद कर जप्त कर दोनो आभियुक्त को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया व परिवादी के कार्य से सम्बन्धित मूल रिकार्ड अभियुक्त सुरेन्द्र पाल सौलंकी पटवारी के कब्जे से जप्त किया गया। अतः अभियुक्त (1) सुरेन्द्र पाल सौलंकी पुत्र श्री निहाल सिंह जाति जाट उम्र 47 साल निवासी महूखास पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन सिटी जिला करौली हाल पटवारी पटवार हल्का भंगो तहसील तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली एवं (2) राजेन्द्र कुमार गुर्जर पुत्र श्री आराम सिहं जाति गुर्जर उम्र 50 साल निवासी ग्राम खेडली गुर्जर पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डोन सिटी जिला करौली हाल पटवारी पटवार हल्का बझेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) व 120 बी भा.द.सं. में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर प्रेषित है।

(जगदीश भारद्वाज) 11/11/2023
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
करौली (राज०)

[redacted]

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादसं में आरोपी श्री सुरेन्द्र पाल सोलंकी पुत्र श्री निहाल सिंह, पटवारी, पटवार हल्का भंगो, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली 2 श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर पुत्र श्री आराम सिंह, पटवारी, पटवार हल्का, बझेड़ा, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 292/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

11/11/23
(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 3039-42 दिनांक 11.11.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर भू-अभिलेख, करौली।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।